UPSI010033652026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी०एक्ट), सीतापुर।</u>

<u>प्रकीर्ण प्रा० पत्र -138/2026</u>

<u>C.I.S. No.-411/2026</u>

गया प्रसाद बनाम **आशीष रस्तोगी आदि।**

<u>दिनांक-16.06.2026</u>

पत्रावली आदेश हेतु पेशी हुई।

प्रार्थनापत्र उक्त आवेदक द्वारा अतर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक गया प्रसाद पुत्र राम मिलन निवासी ग्राम शाहपुर मजरा शाहजलालपुर थाना कमलापुर जिला सीतापुर का रहने वाला है। आवेदक पासी बिरादरी का व्यक्ति है। आवेदक के पास एक वाहन (कार) TATA ZEST(XM) Reg.No.-UP34AP 0893 था जो कि आवेदक ने टाटा फाइनेंस कम्पनी से फाइनेन्स लिया था। जिसमें कुछ रुपए नगद व कुछ फाइनेन्स कराया था। आवेदक उक्त वाहन का स्वामी है। आवेदक ने कुछ किस्ते भी जमा की थी तथा कुछ किस्ते शेष रह गयी थी। विपक्षीगण ने फाइनेन्स कम्पनी से साठ-गांठ कर दिनांक 17.10.2021 को समय करीब 1.00 बजे के करीब बहुगुणा चौराहे के पास उक्त वाहन आवेदक से जबरन ले लिया और कहा कि हम इसको किराये पर चलाकर तुम्हारी किस्त अदा कर देंगे और तुमको वाहन वापस कर देंगे। आवेदक ने लगभग 1 वर्ष बाद अपना वाहन वापस मांगा तो विपक्षीगण ने आवेदक को जाति सूचक गालियाँ साले पासी भाग जाओ नहीं तो तुमको जान से मार देंगे धमकी देते हुए मारपीट करने लगे और कहा कि तुमको व तुम्हारे घर वालों को जान से मरवा दूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद आवेदक जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया और थाने पर प्रार्थना पत्र दिया परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी और न ही वाहन वापस दिला गया। आवेदक पर उक्त विपक्षीगण द्वारा झूठा मुकदमा लगवाकर जेल भेजवा दिया गया था। जिसके बाद आवेदक ने कई बार अपना वाहन वापस मांगा परन्तु विपक्षीगण द्वारा वापस नहीं किया गया। दिनांक 03.05.2026 को सुबह 11.00 बजे के करीब आवेदक ने विपक्षीगण से अपना वाहन वापस मांगा तो विपक्षीगण ने पुनः जाति सूचक गालियां देते हुए मारपीट कर भगा दिया और कहा कि तुम्हारा वाहन तुमको वापस नहीं करूंगा जो करना है कर लो। विपक्षीगण एक राय होकर आवेदक का उक्त वाहन हड़प लेना चाहते हैं। उक्त विपक्षीगण आवेदक वाहन से कोई भी घटना कारित करके आवेदक को झूंठे मुकदमें में फसाने की धमकी दे रहे हैं। आवेदक के वाहन पर 4 चालान भी हो गये हैं। जिसकी सूचना आनलाइन जानकारी करने पर प्राप्त हुई। आवेदक को जान का खतरा

बना हुआ है। आवेदक ने उक्त घटना के सम्बन्ध में श्रीमान् थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर को दिनांक 04.05.2026 को प्रार्थना पत्र दिया तथा दिनांक 06.05.2026 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर को जरिए आई०जी०आर०एस० के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 08.05.2026 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उ०प्र० शासन लखनऊ को जरिए रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रेषित किया परन्तु किसी भी प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आलोक में थाना **कोतवाली नगर** से आख्या आहूत की गयी। सम्बंधित थाने की आख्या में उल्लिखित है कि उक्त मामले में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की विगत तिथि को तर्कपूर्ण बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रार्थनापत्र में सभी तथ्य परिवाद के समाहित है। आवेदक की पहुंच व कब्जे में सम्पूर्ण साक्ष्य है जिसे वह न्यायालय में जांच के समय प्रस्तुत कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने **रामबाबू गुप्ता बनाम उ०प्र०राज्य 2001 (43) ए.सी.सी. 50 (इलाहाबाद) व सुखवासी प्रति उ०प्र०राज्य 2007 (59) ए.सी.सी. 739 (इलाहाबाद)** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रार्थनापत्र को मजिस्ट्रेट परिवाद के रूप में पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही कर सकता है। आवेदक द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र के कथन के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को प्रस्तुत प्रकरण में घटना की दिनांक, स्थान व समस्त घटनाक्रम के सम्बंध में सम्पूर्ण जानकारी है और वह इस सम्बंध में न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण साक्ष्य दे सकता है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्वान्तों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को परिवाद के रूप में पंजीकृत कर न्यायालय द्वारा स्वयं नियमानुसार जांच कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत होगा।

<u>आदेश</u>

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता परिवाद के रूप में पंजीकृत हो। विपक्षीगण को नियत तिथि के लिए नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० दिनांक 16.07.2026 को पेश हो।

दिनांक-16.06.2026

(महेन्द्र सिंह-IV)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
सीतापुर।
J.O.Code-UP6113

प्रियंका/-

Digitally signed by Mahendra Singh
Date: 2026.06.16 16:18:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court Sitapur